Industries in all risk categories are exempted from labour inspections (As per attached GO dated 29th August 2003).

लेशेण सूचना

संख्या 2776/36-3-2003-11 (सा०)/98

प्रेपक,

मीरा यादव, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन्। 📜

सेवा मैं,

- समस्त प्रमुख सचिव /सिचद, उ०प्र०शासन
- श्रमायुक्त, उत्तर प्रवेश। 2.
- समस्त विभागाव्यक्ष उत्तर प्रदेश।
- समस्त मण्डायुक्त उत्तर प्रदेश।
- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रवेश।

श्रम अनुभाग - 3

लखनऊ दिनांक 29 अगस्त, 2003

विषय: इंस्पैकटर राज का समापन

महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के स्वरित औद्योगिकीकरण के लिए हर स्तर पर निवेशो-मुखी एवं उद्योगपूरक वातावरण सुजित करने के लिए कटिबद्ध हैं। शासन द्वारा यह निर्णय लया गया है कि प्रदेश के उद्योंनों को अनावश्यक इस्तक्षेप से मुक्त किया जाये, ताकि वे अपनी ऊर्जा का प्रयोग उत्पादक कार्यों के लिए कर सर्के।

इस सम्बन्ध में समयक विचरोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :-

''इंस्पैकटर राज तत्कालिक प्रभाव से मुअत्तल किया जाता है।'' श्रमायुक्त उतार प्रदेश, समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारीगण उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराप्रेंगे

(भीरा यादव)

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, मुफ्करनगर। सं० 607/15-45/2000-03/ जे**०ए०**,

विनाक × 20.9.2003

प्रतिलिपि समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट, मुजपफरनगर एयं सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा सहायक भमायुक्त मुजक्फरनगर को आवश्यक कोर्यवाही हेतु तथा एक प्रति गार्ड फाइल पर रखें।

(चन्द्रपाल सिंह) अपर जिला मजिस्ट्रेट 'प्रशासन' मुजफ्फरनगर

कार्यालय, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजएफरनगर पत्रांक 5149/गि०उ०के०/मु०नगर/2003-04

दिनोक : 11.11.03

प्रतिलिपि भी मोहित कुमार जैन, अध्यक्ष आई.आई.ए., रेलवे रोह, शामली को दिनांक 31.10.03 में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में मांगे गये शासनादेश के क्रम में पत्रक की प्रति, सूचनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र मुजफ्फरनगर

आज दिनांक 15-11-03 को उपरोक्त पत्र प्राप्त हुआ है। सभी सदस्यगण एव को ध्यान है अवलोकन का अपनी प्रमुख फाइल में लगा लें, यदि इसके उपरान्त भी कोई इंसपेक्टर परेशान करे तो तुरन्त पदाधिकारियों से सम्पर्क करे। हाण मीहित कुमार जैल, चैयरमैल, इंडियन इंडस्ट्रीण एलेलिएलन, चैकर-सामली द्वारा सम्माजीय सदस्वीं की सेवा